आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सीयों के चयन के लिये नियम व शर्तें।

1. आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की व्यवस्था हेतु यह निविदा उत्तराखण्ड प्राविधिक नामावली 2005 के Two Bid system के अन्तर्गत मांगी जा रही है जिसमें की तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे तैयार कर दोनों को एक सीलबन्द लिफाफे में रखा जायेगा तकनीकी निविदा की शर्तें पूर्ण होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र दिनॉक 08.02.2018 तक किसी भी कार्य दिवस को जिला कार्यालय के राजस्व कक्ष से निविदा शुल्क ₹ 1,000 (एक हजार रूपये मात्र) + GST जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. निविदादाता संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 10,000/– की धरोहर राशि, जो जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के नाम बंधक हो एन0एस0सी0 (NSC) अथवा एफ0डी0आर0 (FDR) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदायें दिनॉक 09.02.2018 को 2.00 बजे तक निविदा पेटी में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को दिनॉक 09.02.2018 के अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं की उपस्थिति में निविदा समिति के सम्मुख खोला जायेगा, यदि कोई भी निविदादाता उक्त समय में उपस्थित नहीं रहते है तो भी निविदा समिति प्राप्त निविदाओं को निर्धारित समय में खोलेगी।
5. निविदादाता संस्था कम्पनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 पार्टनरशिप एक्ट 1932 अथवा प्रोपेरिटी फर्म के अन्तर्गत आती हो अथवा रजिस्टर्ड हो।
6. निविदादाता संस्था को श्रम एवं सेवायोजन विभाग (Labour License) भविष्य निधि योजना (EPF) एवं GST में पंजीकृत होना, पैन कार्ड होना अनिवार्य है एवं पंजीयन सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदादाता संस्था का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर ₹ पांच लाख (न्यूनतम) होना चाहिए, जिसका सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता संस्था को पिछले एक वर्ष की आई0टी0आर0 जमा करने की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता संस्था का उत्तराखण्ड के किसी भी राजकीय कार्यालय/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग द्वारा सफलतापूर्वक सेवायें प्रदान करने का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. आवश्यकता के अनुसार कर्मिकों को नितान्त अस्थाई व्यवस्था पर मांगा जायेगा। विभाग को जिस समय भी इनकी आवश्यकता नहीं होगी इन्हें बिना पूर्ण सूचना के कार्य से हटा दिया जायेगा।
11. निविदादाता संस्था का पिछले दो वर्षों से उत्तराखण्ड में कार्यालय होना अनिवार्य है।

क्रमशः 02

12. निविदादाता संस्था को संस्था के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही/ब्लेक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र नोटरी पब्लिक से कराना अनिवार्य है।
13. निविदादाता संस्था द्वारा सभी प्रपत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने अनिवार्य होगें।
14. वित्तीय निविदा में केवल निविदा की दरें ही प्रस्तुत की जायेगी। तकनीकी निविदा की सभी शर्तें पूर्ण होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
15. किसी भी कार्मिक को रखने के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. कार्मिक की तैनाती जनपद के तहसीलों में मॉग के अनुसार की जायेगी, जिसका उल्लेख कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर निर्गत आदेश में किया जायेगा।
17. सेवादाता फर्म को योग्य अभ्यर्थी मांग के अनुरूप तत्काल उपलब्ध कराने होंगे, उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर यूजरों को कम्प्यूटर में 4000 Key Depression] Microsoft Office (Word] Power Point), Internet, Web Based Application का ज्ञान अनिवार्य है।
18. सेवादाता फर्म द्वारा तैनात किये गये कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाहियों को निस्तारित करने एवं समस्त प्रकार की सेवा शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सेवादाता फर्म का होगा तथा कोई भी कार्मिक इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत नहीं करेगा। सेवादाता फर्म को इस सम्बन्ध में तैनाती के समय ही कार्मिक को अवगत कराना अनिवार्य होगा। चयनित निविदादाता संस्था को अनुबन्ध में उक्त नियमों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
19. चयनित निविदाता संस्था को चयन उपरान्त 100 रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी पब्लिक से अनुबन्ध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. सेवादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान सेवादाता फर्म को लागू/प्रचलित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

    अतः प्रति कार्मिक को देय पारिश्रमिक का पूर्ण विवरण नियमानुसार लागू कटौतियों को करने के बाद किया जायेगा। निविदा की शर्तों के अतिरिक्त पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. कार्मिकों के पारिश्रमिक से नियमानुसार/प्रचलित शासनादेशानुसार अनुसार कटौतियॉ किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सेवादाता फर्म का होगा।
22. निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा आमन्त्रित करने वाले अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।